

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आप.अ. 170/2020

सुरक्षित :- 10/12/2021

निर्णय की तिथि:- 04/01/2022

निम्न मामले में:-

अंकित

....अपीलकर्ता

द्वारा: श्री सौरभ सोनी और सुश्री मन्नत सिंह, अधिवक्तागण।

श्री दीपक कुमार, जेल वार्डन, सेंट्रल जेल नं. 5, तिहाड़, नई दिल्ली के साथ अपीलकर्ता स्वयं (जेल से वी.सी. के माध्यम से)।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली)

....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हिरेन शर्मा, राज्य के अति.लो.अभि. सह उप.नि. सचिन देव डांगी, थाना नंद नगरी, दिल्ली।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

निर्णय

न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

1. वर्तमान अपील अपीलकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) सह पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें पुलिस थाना नंद नगरी, दिल्ली में भा.दं.सं. की धारा 307/34 के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 82/2017 से उत्पन्न एससी संख्या 17/2018 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), ई-कोर्ट, शाहदरा, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 03.10.2019 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 09.10.2019 को दिए गए दंडादेश को चुनौती दी गई है।

2. आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलकर्ता को भारतीय दंड आदेश की धारा 307/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। दिनांक 09.10.2019 के दंडादेश द्वारा उसे 4 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास के साथ 4,000/- रुपए के जुर्माने, जिसका भुगतान न करने पर 1 माह की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान का निर्देश दिया गया था।

अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 का लाभ दिया गया था।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, निम्नानुसार हैं -

“1. आपराधिक कानून को दिनांक 09.02.2017 को लगभग शाम के 6.45 बजे लागू किया गया था, जब थाना नंद नगरी में छुरा घोंपने के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे डीडी संख्या 85-ख द्वारा दर्ज किया गया था और उसे उप.नि. मनोज कुमार को सौंपा गया था, जो कॉन्स्टेबल दीपक के साथ मौके अर्थात् ई-2 ब्लॉक, झुग्गी नंद नगरी, पर पहुंचे थे, जहां उन्हें पता चला कि घायल जीटीबी अस्पताल गया था। इसके बाद, उप.नि. मनोज कुमार कॉन्स्टेबल दीपक के साथ जीटीबी अस्पताल पहुंचे और सुभाष पुत्र हेतराम की एमएलसी प्राप्त की। हेतराम को बयान के लिए उपयुक्त माना गया था। इस बयान का सार यह है कि “दिनांक 09.02.2017 को शिकायतकर्ता सुभाष पुत्र हेतराम ई-2 ब्लॉक, झुग्गी होते हुए जिला पार्क की ओर जा रहा था। शाम करीब 6 बजे, अंकित और उसका दोस्त झुग्गी-झोंपड़ी के पास उससे मिले और अंकित ने उससे उसका मोबाइल फोन कॉल करने के लिए मांगा और जब उसने मना किया तो अंकित ने उसे गाली देनी शुरू कर दी। जब उसने विरोध किया तो अंकित के दोस्त ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अंकित ने एक चाकू निकाला और उसके

बाएं कान, बाएं कंधे और पेट पर मारने लगा। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर दोनों वहां से भाग गए। अंकित ई-2 झुग्गियों का रहने वाला है और वह उसकी टेंट की दुकान पर आता था। अंकित और उसके दोस्त ने उसे मारने के इरादे से उसे चाकू मारे थे। घायल के उपरोक्त बयान के आधार पर रुक्का तैयार किया गया और वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियुक्त ने नाबालिग होने का दावा किया, हालांकि, जांच करने के बाद, किशोर न्याय बोर्ड ने दिनांक 01.09.2017 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपराध किए जाने की तारीख को अभियुक्त अंकित की आयु 18 वर्ष से अधिक थी।”

4. जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत आरोप-पत्र दायर किया गया था। दिनांक 18.04.2018 के आदेश द्वारा, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत आरोप विरचित किए गए, जिसके लिए उसने स्वयं को निर्दोष बता कर विचारण की मांग की।

5. प्रस्तुतियों के दौरान, श्री सौरभ सोनी, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, अपीलकर्ता से निर्देशों पर, जो वह भी सेंट्रल जेल सं. 5, तिहाड़, नई दिल्ली से वी.सी. के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुआ था और श्री दीपक कुमार, जेल वार्डन द्वारा

पहचाना गया था, प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता गुणागुण के आधार पर अपील पर जोर नहीं देना चाहता है। यह प्रार्थना की गई कि अपीलकर्ता की कैद की अवधि के साथ-साथ उसकी आयु और साफ पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को पहले ही गुजारी जा चुकी अवधि पर रिहा किया जा सकता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता आक्षेपित दंडादेश द्वारा उस पर लगाए गए 4,000/- रुपये के जुर्माने का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक है।

6. दूरी ओर, श्री हिरेन शर्मा, राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने आक्षेपित निर्णय और दंडादेश का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता शिकायतकर्ता को उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी है और इस प्रकार, दंडादेश में हस्तक्षेप न किया जाए।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख को भी देखा है।

8. अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण किया था। शिकायतकर्ता/सुभाष का

अभि.सा.-1 के रूप में परीक्षण किया गया था; डॉ आकाश वाष्णीय, जिन्होंने शिकायतकर्ता के एमएलसी को साबित किया, का अभि.सा.-5 के रूप में परीक्षण किया गया था; उप.नि. मनोज कुमार, मामले के जांच अधिकारी का अभि.सा.-7 के रूप में परीक्षण किया गया था और डॉ. सुरुचि श्रेष्ठ, सहायक प्राध्यापक, जीटीबी अस्पताल, जिन्होंने शिकायतकर्ता की चोटों की प्रकृति को साबित किया था, का अभि.सा.-9 के रूप में परीक्षण किया गया था।

9. शिकायतकर्ता/घायल/सुभाष (अभि.सा.-1) ने गवाही दी कि वर्ष 2017 में, वह नंद नगरी की झुग्गियों में किरायेदार के रूप में रहता था और एक टेंट की दुकान में मजदूर के रूप में काम करता था। उसने आगे कहा कि यह वर्ष 2017 का सर्दियों का मौसम था, जब एक दिन शाम 6.00 बजे वह एक नल से पानी ले रहा था, तो दो लड़के आए और उससे मोबाइल फोन मांगा। जब उसने मना कर दिया, तो एक लड़के ने उसे पकड़ लिया और दूसरे ने उसके पेट, कान और पीठ पर चाकू से वार किया और जबरन उसका मोबाइल ले लिया। नतीजतन, वह बेहोश हो

गया और उसे उसके नियोक्ता द्वारा अस्पताल ले जाया गया। गवाह ने अदालत में अपीलकर्ता की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने उसे चाकू से मारा था।

प्रतिपरीक्षण में, शिकायतकर्ता ने इस सुझाव से इनकार किया कि अपीलकर्ता को उसके द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया था क्योंकि उसने अपीलकर्ता से ऋण लिया था। उसने इस सुझाव का कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, से भी इंकार किया।

10. घटना के समय *जीटीबी अस्पताल* में कनिष्ठ निवासी चिकित्सक *डॉ. आकाश वाष्णीय* (अभि.सा.-5) ने गवाही दी कि उन्होंने दिनांक 09.02.2017 को शिकायतकर्ता की चिकित्सीय जांच की थी और अपनी एमएलसी (एक्स-पीडब्ल्यू-5/ए) को साबित किया। प्रतिपरीक्षण में, गवाह ने बयान दिया कि एमएलसी में उल्लिखित चोटें गिरने के कारण संभव नहीं थीं।

11. *डॉ. सुरुचि श्रेष्ठ*, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी, *जीटीबी अस्पताल* (अभि.सा.-9) ने *डॉ. शैलेन्द्र पटेल*, जिन्होंने शिकायतकर्ता/घायल की एमएलसी पर राय दी थी, की लिखावट

और मुहर की पहचान की और गवही दी कि उनकी राय के अनुसार चोटों की प्रकृति गंभीर थी।

12. उप.नि. मनोज कुमार (अभि.सा.-7) ने गवाही दी कि उसने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया था, जिसके बाद, दिनांक 10.02.2017 को, यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह लड़का जिसने शिकायतकर्ता को चाकू मारा था (बाद में अपीलकर्ता के रूप में पहचाना गया) अपने घर पर मौजूद था। जब जांच अधिकारी अपीलकर्ता के घर पहुंचा, तो अपीलकर्ता की मां ने दावा किया कि उसका बेटा लगभग 15 वर्ष का था। हालांकि, बाद में, अपीलकर्ता के आयु संबंधी दस्तावेजों को एकत्र किया गया और किशोर न्याया बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जिसने अपीलकर्ता को बालिग घोषित कर दिया।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में, अपीलकर्ता ने प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हुए दिनांक 09.02.2017 को मौके पर अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया। उसने आगे कहा कि उक्त तारीख को, उसने केवल 100/- रुपये की मांग की थी, जो शिकायतकर्ता पर उसके बकाया थे।

14. किसी घायल साक्षी की गवाही के मुल्यांकन संबंधी विधि को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित किया गया है, जिसमें (2011) 4 एससीसी 324 के रूप में प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश व अन्य भी शामिल है, जसमें निम्नलिखित रूप से माना गया -

“27. किसी घायल गवाह की गवाही को स्टाम्पित साक्षी होने के कारण उचित महत्व दिया जाना चाहिए, इस प्रकार उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनके बयान को आमतौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है और यह संभावना नहीं है कि उसने किसी और को गलत तरीके से फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को छोड़ दिया हो। एक घायल गवाह की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता है क्योंकि उसे घटना के समय और स्थान पर चोटें आई हैं और यह उसकी गवाही को समर्थन देता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था। इसलिए, घायल गवाह की गवाही को कानून में एक विशेष दर्जा दिया जाता है। गवाह अपने वास्तविक हमलावर को केवल किसी तीसरे व्यक्ति को अपराध के लिए गलत तरीके से फंसाने के लिए दंडित किए बिना नहीं छोड़ना चाहेगा या इच्छुक होगा। इसलिए, घायल गवाह की गवाही पर भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार न हो। (देखें

जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य)”

15. वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए, यह देखा गया है कि शिकायतकर्ता/घायल व्यक्ति ने गवाही दी कि घटना के दिन अपीलकर्ता द्वारा उसके पेट, कान और पीठ पर चाकू से प्रहार किया गया था और उसका मोबाइल फोन भी जबरन ले लिया गया था। उसी दिन अर्थात् दिनांक 09.02.2017 को सायं 7.05 बजे उसकी चिकित्सीय जांच की गई और एमएलसी तैयार की गई, जो विचारम के दौरान साबित की गई (एक्स. पी. डब्ल्यू-5/ए)। उक्त एमएलसी में, निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया -

“(1) पेट के एपीगैस्ट्रियम क्षेत्र पर 2 x 1 सेंटीमीटर कटने का घाव

(2) बाएं ईअर लोब पर 2 x 1 सेंटीमीटर कटने का घाव

(3) बाएं कंधे के पीछे वाले भाग पर 2 x 1 सेंटीमीटर कटने का घाव”

विशेष रूप से, शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त चोटों की प्रकृति गंभीर बताई गई थी। शिकायतकर्ता की एमएलसी के अवलोकन

से पता चलेगा कि उसकी गवाही की विधिवत पुष्टि एमएलसी में की गई टिप्पणियों द्वारा होती है।

16. अपीलकर्ता ने घटना के दिन मौके पर अपनी उपस्थिति से इनकार नहीं किया है। उसके द्वारा लिया गया बचाव गलत रूप से फंसाने का है, इस आधार पर कि शिकायतकर्ता पर उसके 100/- रुपये का बकाया था। प्राथमिकी के दर्ज होने के समय, अपीलकर्ता का नाम लिया गया था क्योंकि शिकायतकर्ता पहले से ही उसको जानता था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चाकू से चोटें आई थीं और कथित चोटों की प्रकृति गंभीर थी।

17. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे स्थापित किए गए हैं, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्ष से मेल खाते हैं। तदनुसार, दोषसिद्धि पर आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

18. अपीलकर्ता की ओर से यह प्रार्थना की गई थी कि वह पहली बार अपराधी है, जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है और इस

प्रकार, जहां तक उसके दंड की मात्रा का संबंध है, उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध अपीलकर्ता संबंधी कैदियों की नामावली के अनुसार, वह पहले ही 8 महीने और 12 दिनों की माफी के साथ दिनांक 29.11.2021 को 03 साल और 12 दिनों की सजा काट चुका है और उसकी बची हुई सजा का हिस्सा 03 महीने और 06 दिन (आईएफपी) है। पिछले एक वर्ष से अपीलार्थी का जेल आचरण भी संतोषजनक बताया गया है।

19. अपीलकर्ता की आयु को ध्यान में रखते हुए, उसके द्वारा पहले से ही गुजारी गई अवधि और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की सजा को, उसके द्वारा 14,000/- रुपये के बढ़े हुए जुर्माने को जमा किए जाने के अधीन, पहले से ही गुजारी अवधि के रूप में संशोधित किया जाए, जिसमें से 10,000/- रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे और उसे तब तक के लिए रिहा किया जाए जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो। अपीलकर्ता द्वारा

आक्षेपित आदेश से अधिरोपित जुर्माने और/या इस न्यायालय द्वारा अधिरोपित बढ़े हुए जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर, अपीलकर्ता को एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगताना होगा।

20. उपरोक्त निदेशों के साथ अपील का निपटान किया जाता है।

21. इस निर्णय की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से विचारण न्यायालय के साथ-साथ संबंधित जेल अधीक्षक को तत्काल भेजी जाए।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

4 जनवरी, 2022
पी एमए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।